केद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR
सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा,
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO,
NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009
दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ेक्ष Fax:079-27545021

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/110/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	39/ RTI/2020-21
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री मनोजकुमार शर्मा/ Shri Manoj Kumar Sharma, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer, सहायक आयुक्त Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर, Central GST & Central Excise(H.Q)Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	02.03.2021
ङ E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	सुश्री दिव्या चारी, 47- साकेत-3, बकेरी सिटी, श्री नंदनगर-2, वेजलपुर, अहमदाबाद पिनकोड: 380051 Ms. Divya Chari, 47, Saket 3, Bakeri city, Nr. Shrinandnagar-2, Vejalpur, Ahmedabad, Pin: 380051

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय गांधीनगर 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है ।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधो के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है ।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT,2005

सुश्री दिव्या चारी, 47- साकेत-3, बकेरी सिटी, श्री नंदनगर-2, वेजलपुर, अहमदाबाद पिनकोड: 380051 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन दाखिल किया है, जो की केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी अहमदाबाद क्षेत्र, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को प्रेषित किया गया था| जिसका पंजीकरण संख्या. CCEAB/R/E/21/00011 दिनांक 14.02.2021 है | उक्त आवेदन पत्र फ़ासं.GCCO/RTI/APP/142/2021-Techs दिनांक 15.02.2021, संयुक्त आयुक्त (सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई),२००५ की धारा 6(3) के तहत दिनांक 18.02.2021 को प्राप्त हुआ है|

Ms. Divya Chari, 47, Saket 3, Bakeri city, Nr. Shrinandnagar-2, Vejalpur, Ahmedabad, Pin: 380051 Suhas Marathe, Maharashtra, has filed an online RTI application No. CEAB/R/E/21/00011 dated. 14.02.2021. The said application was transferred to this office from the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015. The said application has been received with the letter F.No.GCCO/RTI/APP/142/2021-TECH dated 15.02.2021 of Joint Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone on 18.02.2021 as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005 for submitting the reply of the application directly to the applicant.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है|
In this regards, the required information as available with the office, pertaining to H.Q. office is as below:-

1) 2016 में कितना उत्पाद शुल्क देय था और अभी तक एकत्र नहीं किया गया है?

   उत्तर:- मांगी गई जानकारी अस्पष्ट है इसलिए उपलब्ध कराने में असमर्थ है|

2) 2016 में कितना उत्पाद शुल्क एकत्र किया गया था और इसका उपयोग कैसे किया
   गया था?

   उत्तर:-वर्ष 2016-17 में गांधीनगर आयुक्तालय (तत्कालीन), केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III द्वारा Rs.1010.92 करोड केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कर संग्रह किया गया था|

3) उत्पाद कर का भुगतान नहीं करने के क्या परिणाम हैं?

   उत्तर:-उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करने वाला व्यक्ति / कंपनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत ब्याज और जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा और डिफ़ॉल्टित(अपराधी) व्यक्ति / कंपनी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1994 के नियम और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी चल अचल संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है |

Reach us at
http://www.cgstgandhinagar.go

Follow us@cgst_gnr

Signed by Manoj Kumar Sharma
Date: 02-03-2021 13:30:13
Reason: Approved

त्वरित डाक/रजिस्टर ऐ डी द्वारा
By Speed Post/Regd.AD

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer,

सी.पी.आई.ओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा मे, To,
सुश्री दिव्या चारी, 47- साकेत-3, बकेरी सिटी,
श्री नंदनगर-2, वेजलपुर, अहमदाबाद पिनकोड: 380051

Copy to: -

1. संयुक्त आयुक्त आयुकत (सीपीआईओ) (केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार), प्रधान मुख्य आयुकत कार्यालय की फ़ासं.GCCO/ RTI /APP /142/2021 -Tech दिनांक 15.02.2021 के संदर्भ में जानकारी हेतु

2. सहायक आयुक्त (प्रणाली) केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु I